डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M. P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय / A Central University)

क्र. / आर / प्रशा. / हर घर तिरंगा / 2022 / 7/1272 — 29 जुलाई 2022

// सूचना //

"हर घर तिरंगा"

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नईदिल्ली से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में तथा **आजादी का अमृत महोत्सव** अंतर्गत **स्वाधीनता सप्ताह कार्यक्रम** दिनांक 11 से 17 अगस्त 2022 तक विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्य प्रशासनिक भवन / विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों / पुस्तकालय / केन्द्रों / छात्रावासों / शारीरिक शिक्षा विभाग / खेल परिसर / गौर जन्मस्थली / गौर अध्ययन केन्द्र / गौर भवन / विश्राम गृह / केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक–4 इत्यादि समस्त विश्वविद्यालयीन भवनों के समक्ष खुले स्थान पर दिनांक **13 से 15 अगस्त 2022** तक अनिवार्य रूप से **राष्ट्रीय ध्वज** (भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित मुख्य दिशा–निर्देश –छायाप्रति **संलग्न है।**) का पालन करते हुये फहराया जाना सुनिश्चित करें। भारतीय झंडा संहिता, 2002 में वर्णित धारा अनुसार **राष्ट्रीय ध्वज** खुले स्थान पर दिन एवं रात में फहराया जा सकता है।

विश्वविद्यालयीन भवनों के समक्ष फहराये जाने हेतु **राष्ट्रीय ध्वज** दिनांक 8, 9 एवं 10 अगस्त 2022 को अपरान्ह 3.00 बजे 5.00 बजे के मध्य गौर प्रांगण मंच से एन.एस.एस. समन्वयक के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

उक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर) 29/7/2022
कुलसचिव (प्र.)

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. समस्त निदेशकगण / अधिष्ठाता (प्रशा. / स्कूल)
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
3. समस्त प्रभारी अधिकारी
4. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक–4
5. कुलानुशासक
6. चेयरमेन, कौंसिल ऑफ वार्डन्स एवं मुख्य प्रतिपालक (युवक एवं महिला छात्रावास)
7. कार्यक्रम समन्वयकगण, एन.एस.एस. / एन.सी.सी. अधिकारीगण – कृपया उचित कार्यवाही हेतु।
8. प्रोफेसर इंचार्ज, पुस्तकालय
9. प्रभारी परीक्षा नियंत्रक / प्रभारी वित्ताधिकारी
10. संपदा अधिकारी / प्रभारी विश्वविद्यालय यंत्री – कृपया उचित कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी सुरक्षा अधिकारी
12. प्रभारी मीडिया अधिकारी – व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु।
13. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल – विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
14. समस्त अधिकारी / समस्त कर्मचारीगण
15. कुलपति के सचिव – माननीय कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
16. कुलसचिव के निज सहायक
17. संबंधित नस्ती

(हस्ताक्षर) 29.7.22
समन्वयक, हर घर तिरंगा कार्यक्रम

भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित मुख्य दिशा-निर्देश

1. भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के लोगो की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर ओर निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।

2. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण/प्रयोग/संप्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित है। भारत के ध्वज संहिता, 2002 में निहित कुछ मुख्य दिशा-निर्देश जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध हैं:-

   (क) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 30 दिसंबर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिएस्टर के कपडे से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई। अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बने हुए या **मशीन द्वारा निर्मित**, सूती/**पॉलिएस्टर**/ऊनी/सिल्क/खादी के कपडे से बनाया गया हो।

   (ख) जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों ओर अवसरों, औपचारिकताओ या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित का सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा ओर सम्मान का ध्यान रखा जाये।

   (ग) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 19 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग-II की धारा 2.2 (xi) को निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित किया गया:-

      (xi) **"जहाँ झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है;"**

   (घ) राष्ट्रीय झंडे का आकर आयताकार होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है परन्तु झंडे की लम्बाई ओर ऊंचाई (चौडाई) का अनुपात 3 : 2 होगा।

   (ङ) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाये तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए।

   (च) फटा हुआ और मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाये।

   (छ) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडो के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाये।

   (ज) संहिता के भाग-III की धारा-IX में उल्लखित गणमान्यो जैसे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि, के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जायेगा।

   (झ) किसी दुसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नही लगाना चाहिए।

नोट: अधिक जानकारी के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।